सऊदी अरब के आंतरिक एवं श्रम मंत्रालयों ने सऊदी स्थित सभी निजी प्रति-ठानों, व्यक्तियों एवं प्रवासी नागरिकों से राजाज्ञा द्वारा प्रभावी रियायती काल में अपने अनियमित कार्य एवं निवास संबंधी अनियमितताओं को अतिशीघ्र सुधारने का आह्वान किया है और आशा व्यक्त की है कि इस अवधि में अधिक से अधिक व्यक्ति इस छूट का फायदा उठाएंगें।

उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि इस छूट की अवधि जो ३ जुलाई, २०१३ को समाप्त हो रही है, के तुरन्त बाद, इन मंत्रालयों के सक्षम अधिकारी स्थानीय कार्य एवं निवास संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुनः नियोक्तओं और प्रवासी कार्मिकों की जांच पड़ताल का अभियान शुरू कर देगें। छूट अवधि के दौरान निम्नलिखित सुविधाओं और छूटों का प्रावधान हैं।

1. उन सभी प्रवासी कार्मिकों को जिन्होंने ६ अप्रैल, २०१३ के पहले स्थानीय कार्य एवं श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है और जो इनको सुधार कर सऊदी अरब में रह कर कार्य करना चाहते हैं उनको सामान्य शुल्कों को छोड़कर उल्लंघन संबंधी समस्त दण्ड एवं जुर्मानों से छूट दी गई है।

2. उन सभी प्रवासी उल्लंघन कर्ता श्रमिकों को जिनकी उंगलियों की छाप सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं है एवं जो रियायती अवधि समाप्त होने से पूर्व स्थायी रूप से सऊदी अरब से जाना चाहते हैं, उन्हें इस शर्त के साथ पूर्व उल्लंघन काल से संबंधित समस्त दण्ड एवं जुर्मानों से छूट दी गई है, कि वे प्रस्थान पूर्व अपनी उंगलियों की छाप पासपोर्ट कार्यालय में दर्ज कराएंगे।

3. यहाँ यह स्प-ट किया जाता है कि उंगलियों की छाप से संबंधित प्रक्रिया उनके सऊदी अरब में पुनः नये वीजा के आधार पर प्रवेश में बाधा नहीं होगी। यह मात्र सऊदी दस्तावेजों की पूर्ति हेतू सम्पन्न की जाएगी। **तीन माह का रियायती काल एवं संबंधित प्रावधान गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों पर लागू नहीं होंगे।**

4. अपने नियोक्ताओं से भागे हुए ऐसे अप्रवासी कार्मिक जिनके भगोड़ा या हुरूब घोनित कर दिया गया है अथवा जिनके कार्य या निवास **परमीट** कालातीत हो गये हैं, वे अपने वर्तमान नियोक्ता के पास जाकर उसके साथ् पुनः कार्य करके या अपनी सेवायें अन्य नियोक्ता को स्थानांतरित करके जिसके लिये वर्तमान नियोक्ता से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, निम्न शर्तों के साथ अपनी स्थिति सुधार सकते हैं।

i) दस या अधिक श्रमिकों वाले निजी प्रति-ठानों में उनकी सेवाओं के स्थानान्तरण से वह प्रति-ठान निताकत की लाल या पीली श्रेणी में नहीं आ जाता है।

ii) ऐसी लघु एवं निताकत की हरी श्रेणी वाले प्रति-ठान में जिनमें श्रमिकों की अधिकतम सं० ९ हैं एवं वहां कम से कम एक सऊदी श्रमिक या स्वयं सऊदी नियोक्ता जिसका मासिक वेतन कम से कम ३००० रियाल है, अधिकतम चार श्रमिक ही अपनी सेवाएं स्थानान्तरित करा सकते है

बशर्ते इस स्थानान्तरण के बाद कुल श्रमिकों की सं० ९ से अधिक न हो। यह प्रक्रिया श्रम मंत्रालय के माध्यम से पूरी की जाएगी।

iii) इस स्थानान्तरण प्रक्रिया में यदि प्रवासी कार्मिक और उनके वर्तमान नियोक्ता के मध्य अधिकारों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

5. अपने नियोक्ताओं से भागे हुए ऐसे अप्रवासी घरेलू कार्मिक जिन्हें भगोड़ा या हरूब घोनित कर दिया गया है या जिनके कार्य एवं निवास पत्र कालातीत हो गयें है अपने वर्ममान नियोक्ता के पास जाकर सुलह-सफाई द्वारा उनके साथ काम करके या अन्य नियोक्ता को अपनी घरेलू सेवाएँ स्थानान्तरित करके अपनी स्थिति सुधार सकते हैं । यह प्रकिया पासपोर्ट कार्यालय द्वारा सम्पन्न की जाएगी । ऐसे प्रवासी कार्मिक अपनी सेवाएँ निजी प्रति-ठानों को भी वर्तमान नियोक्ता की अनुमति के बिना श्रम मंत्रालय के माध्यम से निजी निम्न शर्तों के साथ स्थानान्तरित कर सकते हैं।

i) दस या अधिक श्रमिकों वाले निजी प्रति-ठानों में उनकी सेवाओं के स्थानान्तरण से वह प्रति-ठान निताकत की लाल या पीली श्रेणी में नहीं आ जाता है।

ii) ऐसी लघु एवं निताकत की हरी श्रेणी वाले प्रति-ठान में जिनमें श्रमिकों की अधिकतम सं० ९ हैं एवं वहां कम से कम एक सऊदी श्रमिक या स्वयं सऊदी नियोक्ता जिसका मासिक वेतन कम से कम ३००० रियाल है, अधिकतम चार श्रमिक ही अपनी सेवाएं स्थानान्तरित करा सकते है बशर्ते इस स्थानान्तरण के बाद कुल श्रमिकों की सं० ९ से अधिक न हो। यह प्रक्रिया श्रम मंत्रालय के माध्यम से पूरी की जाएगी।

6. वे प्रवासी नागरिक जो ३ जुलाई, २००८ से पहले हज या उमरा वीजा पर आये थे और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं गये, व्यक्तिगत सऊदी नागरिकों के साथ जावाजात या पासपोर्ट कार्यालय के माध्यम से घरेलू कार्मिक के तौर पर अपनी सेवायें स्थानांतरित करके नियमित हो सकते हैं। परंतु इसके लिए उन्हें पहले पासपोर्ट कार्यालय में अपनी जानकारी दर्ज कराने के बाद श्रम मंत्रालय से उस प्रति-ठान की ग्राह्यता की संस्तुति लेनी पड़ेगी।

यह प्रक्रिया निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू होगीः

i) दस या अधिक श्रमिकों वाले निजी प्रति-ठानों में उनकी सेवाओं के स्थानान्तरण से वह प्रति-ठान निताकत की लाल या पीली श्रेणी में नहीं आ जाता है।

ii) ऐसी लघु एवं निताकत की हरी श्रेणी वाले प्रति-ठान में जिनमें श्रमिकों की अधिकतम सं० ९ हैं एवं वहां कम से कम एक सउदी श्रमिक या स्वयं सऊदी नियोक्ता जिसका मासिक वेतन

कम से कम ३००० रियाल है, अधिकतम चार श्रमिक ही अपनी सेवाएं स्थानान्तरित करा सकते है बशर्ते इस स्थानान्तरण के बाद कुल श्रमिकों की सं० ९ से अधिक न हो। यह प्रक्रिया श्रम मंत्रालय के माध्यम से पूरी की जाएगी।

iii) इस स्थानान्तरण प्रक्रिया में यदि प्रवासी कार्मिक और उनके वर्तमान नियोक्ता के मध्य अधिकारों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

7. छूट अवधि के दौरान निजी प्रति-ठानों को उनकी निताकत की श्रेणी या व्यवसाय के प्रकार को नजरअंदाज करते हुए प्रवासी नागरिकों को व्यवसाय की उन श्रेणियों में परिवर्तन करने की छूट होगी जो श्रेणियां सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित नहीं है। इन श्रेणियों की सूची अंतिम पारा में उल्खित है।

8. व्यवसाय में परिवर्तन की प्रक्रिया निःशुल्क होगी ।

9. रियायती अवधि के दौरान कार्य एवं निवास संबंधित नियमों में छूट बिना किसी भेदभाव के सभी देशों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी।

10. रियायती अवधि के दौरान निजी प्रति-ठानों को रा-ट्रीयता-आधारित श्रमिक-संख्या संबंधित नियमों में छूट दी है । यह कार्य एवं निवास संबंधी अनियमित्ताओं को नियमित करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु एवं छूट के लाभार्थियों को अधिकतम संख्या में समायोजित करने के उद्देश्य से किया गया है। परन्तु यह नये भर्ती आवेदनों पर लागू नहीं होगी।

11. निम्नलिखित सेवायें केवल सऊदी नागरिकों के लिये आरक्षित हैं ।

(i) मुख्य मानव संसाधन प्रशासक
(ii) कार्मिक प्रबंधक
(iii) व्यवसाय एवं कार्मिक-कार्य प्रबंधक
(iv) सामान्य संबंध लिपिक
(v) निजी संबंध विशे-ाज्ञ
(vi) रोजगार लिपिक
(vii) निजी संबंध लिपिक
(viii) ड्यूटी लिपिक
(ix) स्वागत लिपिक
(x) होटल स्वागत लिपिक
(xi) रोगी स्वागत लिपिक

(xii) शिकायत लिपिक
(xiii) खजांची
(xiv) व्यक्तिगत सुरक्षा लिपिक
(xvi) प्रतिलिपिक
(xvii)कस्टम निपटान लिपिक
(xviii) महिला कार्मिक लिपिक

****